उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम

1964

(अधिनियम संख्या 10,1964)

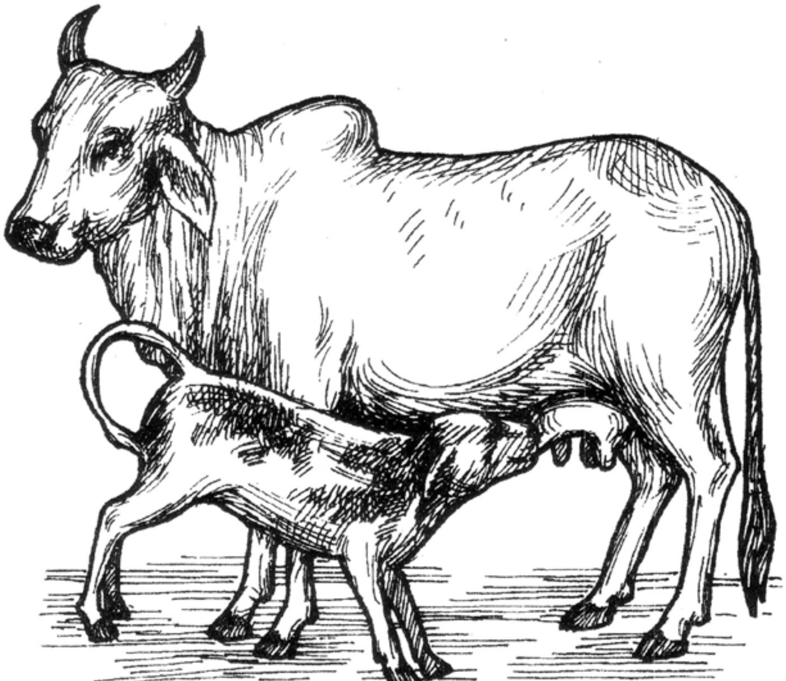

पशुपालन विभाग, उ.प्र. लखनऊ

(प्रचार संभाग द्वारा प्रसारित)

उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, १९६४

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०, १९६४)

(जैसा कि उ० प्र० विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में गोशालाओं के अपेक्षाकृत अच्छे प्रबन्ध तथा नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, १९६४ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत करे, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(१) "पशु" का तात्पर्य गाय या उसकी सन्तति से है;

(२) "निदेशक" का तात्पर्य पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत ऐसा अन्य अधिकारी भी है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन निदेशक के सभी या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए नियुक्त करे;

(३) "संघ" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश गोशाला संघ से है तथा उक्त संघ के संगठन के पूर्व सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, १८६० के अधीन निबद्ध (रजिस्टर्ड) यू० पी० स्टेट फेडरेशन आफ गोशालाज और पिंजरापोल्स से है;

ऐक्ट संख्या २१, १८६०

(४) "गोशाला" का तात्पर्य ऐसी धर्मार्थ संस्था से है जो पशु ... रखने, उनका अभिजनन, पालन या भरण-पोषण करने के प्रयोजन के ... अथवा दुर्बल, बूढ़े, अशक्त या रोगी पशुओं को भर्ती व प्रस्तुत करने और उनका उपचार करने के प्रयोजन के लिए स्थापित की गयी हो;

(५) "गोशाला की सम्पत्ति" का तात्पर्य ऐसी सम्पत्ति से है जो गोशाला के उपयोग और लाभ के लिए न्यास में निहित हो या न्यास धृत हो तथा जिसके अंतर्गत धारा ११ के अधीन गोशाला को देय कोई धनराशि भी है और उसके अन्तर्गत गोशाला में रखे गये पशु भी हैं;

(६) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(७) "निबन्धक" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त गोशालाओं के निबन्धक से है;

(८) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है;

(९) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है;

(१०) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है; और

(११) गोशाला के सम्बन्ध में "न्यासी" का तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे समुदाय से है, भले ही वह किसी भी नाम से (designation) से जाना जाता हो, जिसमें गोशाला या उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध निहित हो और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी जो इस प्रकार उत्तरदायी हो मानो वह न्यासी ही हो।

संघ

३—(१) इस अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र उत्तर प्रदेश राज्य में एक संघ स्थापित किया जायगा जो उत्तर प्रदेश गोशाला संघ कहलायेगा।

(२) संघ में गोशालाओं के न्यासियों द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचन किये गये उतने व्यक्ति होंगे जितने नियत किये जायें।

(३) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई भी व्यक्ति न्यासी न समझा जायगा यदि उसका नाम न्यासी के रूप में प्रदेश गोशाला रजिस्टर में उस दिनांक में प्रविष्ट न हो, जो राज्य सरकार इस विषय में गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत करे।

४—(१) गोशाला का न्यासी, निबन्धक को एक विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दी होंगी :— गोशालाओं के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करने का दायित्व

(क) गोशाला का नाम और पता;

(ख) गोशाला की स्थापना का दिनांक और उसे स्थापित करने की रीति;

(ग) गोशाला के न्यासी का नाम और पता और यदि न्यासी व्यक्तियों का कोई समुदाय हो तो ऐसे समस्त व्यक्तियों के नाम व पते;

(घ) न्यासी का उत्तराधिकारी होने की रीति;

(ङ) गोशाला की सम्पत्ति का विवरण;

(च) उस वर्ष के जिसमें विवरण-पत्र प्रस्तुत किया जाय ठीक पूर्व तीन वर्षों में गोशाला की सकल वार्षिक आय, यदि कोई हो;

(छ) उक्त आय का स्रोत;

(ज) खंड (च) में अभिदिष्ट अवधि में यदि गोशाला के सम्बन्ध में कोई व्यय किया गया हो तो वह व्यय; और

(झ) ऐसे अन्य विवरण जो नियत किये जायें।

(२) विवरण-पत्र पर नियत रीति से हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसे सत्यापित किया जायगा तथा उसके साथ निम्नलिखित होंगे:—

(क) यदि कोई ऐसा लेख्य हो जिसके द्वारा गोशाला स्थापित किया गया हो तो उसकी एक प्रति;

(ख) उस लेख्य की एक प्रति जिसमें गोशाला का प्रबन्ध और न्यासधारिता में उत्तराधिकार को विनियमित किया गया हो, और यदि ऐसा लेख्य उपलब्ध न हो तो ऐसा ज्ञापन जिसमें गोशाला के उद्देश्य और उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध करने की रीति दी जाय; और

(ग) यदि गोशाला के लेखे की संपरीक्षा हो गयी हो तो लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित अन्तिम पक्के चिट्ठे (Balance Sheet) की एक प्रति।

(३) उक्त विवरण-पत्र, गोशाला की स्थापना के या संबद्ध क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से, इसमें जो भी पश्चाद्वर्ती हो, तीन मास के भीतर प्रस्तुत किया जायगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक लिखित कारणों द्वारा विवरण-पत्र प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ा सकता है।

५—प्रत्येक ऐसी गोशाला का विवरण, जिसके सम्बन्ध में धारा ४ के उपबन्धों के अनुसार विवरण-पत्र प्रस्तुत किया जाय, इस विषय में रखे गये एक रजिस्टर में, जिसे "प्रदेश गोशाला रजिस्टर" कहा जायगा, दर्ज किया जायगा और नियत प्रपत्र में एक निबन्धन प्रमाण-पत्र उक्त प्रत्येक गोशाला के सम्बन्ध में जारी किया जायगा। गोशालाओं का निबन्धन

६—(१) निबन्धक नियत प्रपत्र में प्रदेश गोशाला रजिस्टर रखेगा। प्रदेश गोशाला रजिस्टर

(२) प्रदेश गोशाला रजिस्टर की प्रतियां या उसके उद्धरण ऐसी शर्तों पर और ऐसी रीति से दिये जायेंगे जो नियत किये जायें।

७—(१) धारा ५ के अधीन निबद्ध गोशाला से सम्बद्ध किसी विवरण में जब कोई परिवर्तन हो जाय, तो गोशाला का न्यासी ऐसे परिवर्तन के तीन मास के भीतर, उसकी सूचना निबन्धक को देगा। प्रदेश गोशाला रजिस्टर की प्रविष्टियों का संशोधन

(२) उस सूचना पर, नियत रीति से, हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसे सत्यापित किया जायगा।

(३) निबन्धक उपधारा (१) के अधीन सूचना प्राप्त होने अथवा उन तथ्यों पर जिनकी ओर उसका ध्यान अन्य प्रकार से आकृष्ट हो और ऐसी जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, प्रदेश गोशाला रजिस्टर की किसी प्रविष्टि में संशोधन कर सकता है।

निबन्धक द्वारा जांच

८—(१) निबन्धक, किसी भी समय, या तो स्वयं, या गोशाला में स्वत्व रखने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या राज्य सरकार के पशुपालन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जो जिला पशुधन अधिकारी के पद से नीचे के पद का न हो, प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर गोशाला के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करने के लिए नियत रीति से जांच कर सकता है:—

(क) न्यासी का नाम और पता, और यदि न्यासी अनेक व्यक्तियों का समुदाय हो तो उक्त प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पता;

(ख) न्यासधारिता में उत्तराधिकार की रीति;

(ग) गोशाला की सम्पत्ति का विवरण; और

(घ) आय और व्यय तथा ऐसी आय का स्रोत;

(२) इस धारा के अधीन प्रत्येक जांच में निबन्धक, जांच का एक नोटिस पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश तथा एक नोटिस प्रदेश गोशाला रजिस्टर में गोशाला के न्यासी के रूप में दर्ज व्यक्ति पर तामील करायेगा और उन्हें सुनवाई का अवसर देगा। नोटिस ऐसे अन्य व्यक्तियों पर भी तामील किया जायगा और ऐसी रीति से प्रकाशित भी किया जायगा जो नियत किये जायें।

(३) इस धारा के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए निबन्धक को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी वाद पर विचार करते समय कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी न्यायालय में निहित होते हैं, अर्थात्

ऐक्ट संख्या ५, १९०८

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसका बयान लेना;

(ख) कोई लेख्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना;

(ग) किसी साक्षी का बयान लेने या लेख की जांच करने के लिए कमीशन जारी करना; और

(घ) ऐसी अन्तरिम आज्ञायें देना जो न्याय की दृष्टि से आवश्यक हों।

(४) जांच की समाप्ति पर निबन्धक जांच से सम्बन्धित किसी विषय के बारे में ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे और इस प्रकार दी गयी आज्ञा जब तक सक्षम क्षेत्राधिकारयुक्त न्यायालय द्वारा समाप्त न कर दी जाय, अन्तिम तथा बन्धनकारी होगी।

शुल्क जो प्रत्येक गोशाला के न्यासी द्वारा दिया जायगा

९—(१) इस अधिनियम के कार्यान्वयन में होने वाले व्यय को पूरा करने के प्रयोजन के लिए, धारा ५ के अधीन निबद्ध प्रत्येक गोशाला का न्यासी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, निबन्धक को, पिछले वित्तीय वर्ष में गोशाला की सकल आय के ५ प्रतिशत से अनधिक ऐसा शुल्क देगा जो निबन्धक संघ के परामर्श से और राज्य सरकार की स्वीकृति से निश्चित करे।

(२) उक्त शुल्क ऐसी रीति से और ऐसे दिनांक या दिनांकों को देय होगा जो निबन्धक समय-समय पर निश्चित करे।

(३) शुल्क के रूप में होने वाली सभी प्राप्तियां एक निधि में जमा की जायेंगी जो प्रदेश गोशाला निधि कहलायेगी।

लेखे रखना और उनकी संपरीक्षा

१०—(१) धारा ५ के अधीन निबद्ध गोशाला का न्यासी, गोशाला की सभी परिसम्पत्तियों और दायित्वों तथा प्राप्तियों और व्यय का नियमित रूप से लेखा-जोखा रखेगा।

(२) उक्त लेखा ऐसे प्रपत्र में होगा और उसमें ऐसे विवरण दिये रहेंगे जो नियत किये जायें।

(३) प्रत्येक वर्ष ३१ मार्च की समाप्ति पर लेखे की रोकड़ बाकी निकाली जायगी और प्रति वर्ष उसकी वार्षिक जांच तथा संपरीक्षा ऐसे व्यक्ति द्वारा तथा ऐसी रीति से की जायगी जो नियत की जाय।

(४) उपधारा (३) के अधीन लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए प्रत्येक लेखा परीक्षक, गोशाला से सम्बद्ध सभी ऐसे लेखों, पुस्तिकाओं, बीजकों और लेख्यों को देख सकेगा जो गोशाला के न्यासी के कब्जे में या उसके नियंत्रणाधीन हों।

(५) उस दिनांक से, जब लेखों की रोकड़बाकी निकाली जाय तीन मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो निबन्धक लेखबद्ध कारणों द्वारा प्रदान करे, प्रत्येक गोशाला का न्यासी निबन्धक को लेखे का एक विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा जो ऐसे प्रपत्र में होगा तथा उसमें ऐसे विवरण दिये जायेंगे जो नियत किये जायें।

गोशाला का क्षेत्र और व्यवसायी तथा व्यापारियों में दायित्व

११—(१) संघ, निदेशक से उस क्षेत्र के सम्बन्ध में सिफारिश करेगा जिसमें कोई गोशाला या गोशालायें कार्य करेंगी, और निदेशक या तो उस सिफारिश को स्वीकार कर लेगा और तदनुसार क्षेत्र निश्चित कर देगा अथवा उस मामले को राज्य सरकार को अभिदिष्ट करेगा और उसके निर्णय के अनुसार क्षेत्र निश्चित कर देगा।

(२) कोई व्यापारी या व्यवसायी अपने ग्राहकों से अपने कारोबार-स्थल के क्षेत्र की गोशाला या गोशालाओं, यदि एक से अधिक हों, से भिन्न किसी अन्य गोशाला के लाभार्थ कोई परिव्यय या दान प्राप्त अथवा वसूल नहीं करेगा।

(३) प्रत्येक व्यापारी या व्यवसायी अपने ग्राहकों से —

(क) गोशाला या गोशालाओं के लाभार्थ किसी परिव्यय या दान के रूप में प्राप्त अथवा वसूल की गयी धनराशि का पूरा, और

(ख) 'धर्मादा' या 'पुण्य खाता' जैसे अनिर्दिष्ट धर्मार्थ प्रयोजन के लाभार्थ किसी परिव्यय या दान के रूप में प्राप्त अथवा वसूल की गयी धनराशि का आधा;

ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, उस क्षेत्र में कार्य करने वाली गोशालाओं के न्यासधारियों को भुगतान करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि भुगतान करने के पूर्व अपने द्वारा इस उपधारा के अधीन देय धनराशि में से वह बीस से अनधिक उस प्रतिशत के हिसाब से, जो नियत की जाय, वसूली व्यय काट लेगा।

स्पष्टीकरण—जब किसी क्षेत्र में एक से अधिक गोशालायें कार्य कर रही हों तो निदेशक उनमें वितरित की जाने वाली प्राप्तियों तथा वसूलियों के अनुपातों को निश्चित करेगा।

व्यापारियों और व्यवसायियों द्वारा विवरणी प्रस्तुत की जायेंगी

१२—धारा ११ की उपधारा (१) में उल्लिखित प्राप्तियां तथा वसूलियां करने वाला प्रत्येक व्यापारी या व्यवसायी कम से कम छः मास के ऐसे अन्तरालों पर जो नियत किये जायें, जिला पशुधन अधिकारी या राज्य सरकार के ऐसे राजपत्रित अधिकारी को जो नियत किया जाय, नियत प्रपत्र में विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें वह अपने द्वारा की गयी प्राप्तियों तथा वसूलियों का लेखा देगा।

निरीक्षण के लिए लेखा पुस्तिकाओं का मंगाया जाना

१३—(१) न्यासी के प्रार्थना-पत्र पर या अन्य प्रकार से सूचना प्राप्त होने पर निबन्धक यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यवसायी या व्यापारी ने गोशाला के न्यासी को देय धनराशि का भुगतान कर दिया है अथवा नहीं किसी भी व्यवसायी या व्यापारी की लेखा पुस्तिकाओं को मंगा सकता है किन्तु ऐसी लेखा पुस्तिकाओं का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति न दी जायगी।

(२) निबन्धक किसी विशेष मामले में उपधारा (१) के अधीन अपना अधिकार उस अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है जिसे व्यापारी या व्यवसायी ने धारा १२ के अधीन विवरणी प्रस्तुत की हो।

गोशाला का निरीक्षण

१४—पशुपालन विभाग का कोई अधिकारी जो जिला पशुधन अधिकारी के पद से नीचे के पद का न हो, या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ यथाविधि अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, किसी गोशाला या गोशाला से सम्बद्ध किसी स्थान में अपना यह समाधान करने के लिए प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है कि इस अधिनियम और नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों का यथाविधि पालन किया जा रहा है या नहीं।

निबद्ध गोशाला के लिए चन्दा करने पर

१५—कोई व्यक्ति किसी ऐसी गोशाला के लिए न तो कोई धनराशि एकत्र करेगा और न कोई चन्दा स्वीकार करेगा जो इस अधिनियम के अधीन निबद्ध न हो।

शास्तियां

१६—(१) यदि किसी गोशाला का न्यासी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित कोई विवरणी, प्रतिवेदन या सूचना तदर्थ नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं करता या ऐसी विवरणी, प्रतिवेदन या सूचना प्रस्तुत करता है जिसके बारे में वह जानता है या जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि सारवान विवरण की दृष्टि से वह मिथ्या है तो वह दोषी सिद्ध होने पर एक हजार रुपये से अनधिक अर्थ-दंड का भागी होगा।

(२) यदि कोई व्यवसायी या व्यापारी धारा ११ और तदर्थ बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार धनराशि का भुगतान नहीं करता या धारा १२ के अधीन नियत समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं करता तो वह दोषी सिद्ध होने पर पांच सौ रुपये से अनधिक अर्थ-दंड का भागी होगा।

(३) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के या तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम, विनियम या दिये गये आदेश के किसी अन्य उपबन्ध का उल्लंघन करे तो वह दोषी सिद्ध होने पर तीन सौ रुपये से अनधिक अर्थ-दंड का भागी होगा।

(४) न्यायालय, उपर्युक्त किन्हीं उपधाराओं के अधीन दंडाज्ञा देते समय उस अवधि को निर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर इस प्रकार सिद्ध-दोष ठहराया गया व्यक्ति इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियम, विनियम या दिये गये आदेश के संगत उपबन्ध का पालन करेगा और ऐसा अतिरिक्त अर्थ-दंड भी आरोपित करेगा जो निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें चूक जारी रहे, पचीस रुपये से अधिक न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त व्यक्ति न्यायालय का यह समाधान कर दे कि ऐसे उचित कारण विद्यमान थे कि वह उस उक्त अवधि के भीतर न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर सकता तो न्यायालय आदेश के अनुपालन के निमित्त उक्त अवधि को बढ़ा सकता है और अतिरिक्त अर्थ-दंड में पूरी-पूरी या आंशिक छूट भी दे सकता है ।

कम्पनियों द्वारा किये गये अपराध

१७—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी और प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का कारोबार चलाने के निमित्त कम्पनी का प्रभारी, तथा उसके प्रति उत्तर-दायी रहा हो, अपराध करने के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उन्हें दंड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरत ली थी तो इस उपधारा की किसी बात से वह किसी दंड का भागी नहीं होगा ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधि-नियम के अधीन निर्दिष्ट अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधि-कारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ है अथवा अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उसे दंड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी नियमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ (association) भी है, और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है ।

अपराध संज्ञान

१८—(१) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन तब तक संस्थित न किया जायगा जब तक कि निबन्धक परिवाद न करे ।

(२) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो, ऐसे किसी अपराध पर विचार न करेगा ।

सद्भावना से की गयी कार्यवाही का संरक्षण

१९—इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम, विनियम या दिये गये किसी आदेश के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी ।

नियम

२०—(१) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) संघ का संघटन और पुनः संघटन;

(ख) धारा ४ के अधीन विवरण-पत्र में दिये जाने वाले विवरण और ऐसे विवरण-पत्र पर हस्ताक्षर तथा उसे सत्यापित करने की रीति;

(ग) गोशाला को जारी किये जाने वाले निबन्धन प्रमाण-पत्र का प्रपत्र;

(घ) प्रदेश गोशाला रजिस्टर का प्रपत्र;

(ङ) शर्तें जिन पर और रीति जिसके अनुसार प्रदेश गोशाला रजिस्टर की प्रतियां या उद्धरण प्रस्तुत किये जायेंगे;

(च) अधिकारी जिन्हें और अन्तराल जिन पर प्रदेश गोशाला रजिस्टर की प्रतियां या उद्धरण प्रस्तुत किये जायेंगे;

(छ) धारा ७ के अधीन प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने और उसे सत्यापित करने की रीति;

(ज) धारा ८ के अधीन जांच करने की रीति;

(झ) व्यक्ति, जिन पर ऐसी जांच का नोटिस तामील किया जायगा और ऐसे को प्रकाशित करने की रीति;

(ञ) गोशाला के न्यासी द्वारा रक्खे जाने वाले लेखों का प्रपत्र और उनमें दिये जाने वाले विवरण;

(ट) प्रदेश गोशाला निधि के लेखों की व्यवस्था करना और उन्हें रखना;

(ठ) धारा १० की उपधारा (५) के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले लेख का विवरण-पत्र का प्रपत्र और उसमें दिये जाने वाले विवरण;

(ड) अन्तराल जिन पर और रीति जिसके अनुसार व्यापारी या व्यवसायी गोशालाओं के न्यासियों को धनराशि देगा;

(ढ) वसूली व्यय के रूप में व्यवसायी या व्यापारी द्वारा काटी जाने वाली प्रतिशत;

(ण) अन्तराल जिन पर और प्रपत्र जिसमें तथा अधिकारी जिसे धारा १२ के अधीन विवरणी प्रस्तुत की जाय;

(त) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का सम्पादन करने के लिए अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(थ) इस अधिनियम के अधीन नोटिसों और आदेशों को तामील करने की रीति; और

(द) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाना हो या नियत किया जाय।

(३) इस धारा के अधीन नियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन होगा कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाया जाय।

(४) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब

उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल १४ दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायेंगे, और जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

२१—निदेशक, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम या नियमों से असंगत न हों:— विनियम

(१) गोशाला में अभिजनन के लिए कुशल प्राविधिक प्रबन्ध की व्यवस्था और उसका पर्यवेक्षण;

(२) गोशाला में अभिजनन को उसके अन्य कार्यकलापों से पृथक करना और ऐसे कार्य का नागर क्षेत्रों से ग्राम क्षेत्रों में संक्रामित करना;

(३) सांड़ों का अभिजनन के प्रयोजनों के लिए गोशाला से किसी अन्य स्थान को भेजना;

(४) गोशाला में अभिजनन से संवद्ध अभिलेखों का रखना और उनका प्रबन्ध करना;

(५) अभिजनन के प्रयोजनों के लिए नर और मादा दोनों पशुओं को अलग रखना; और

(६) गोशाला में पशु की चिकित्सा और निरीक्षण।

२२—इस अधिनियम के अधीन निबद्ध गोशाला पर चैरिटेबिल ऐन्ड रेलीजस ट्रस्ट ऐक्ट, १९२० के उपबन्ध लागू न होंगे। १९२० का ऐक्ट संख्या १४ गोशाला पर लागू न होगा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ५ जनरल एग्री (हि०)—१९६४—५००।